सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 20, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 09, 2022 *Magha 20, Wednesday , Saka 1943- February 09, 2022*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 14, 2021

संख्या राविविआ/सचिव/विनियम-145 :- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ई) सपठित धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं पूर्व प्रकाशन के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, राविविआ (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 (इसके पश्चात 'प्रधान विनियम' के नाम से उद्धृत किये जायेंगे) को संशोधित करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भण :

(1) इन विनियमों को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) (सातवां संशोधन) विनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे।

(3) ये विनियम पूरे राजस्थान राज्य में प्रवृत होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

उपविनियम (1) II में प्रदर्शित होने वाली परिभाषा को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"II. "नवीकरणीय ऊर्जा" यथा "अ. ऊ" राराविआ (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टेरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2020 में समय- समय पर संशोधनों सहित में परिभाषित अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा है और इसमें सह उत्पादन भी शामिल होगा।"

3. प्रधान विनियमों के विनियम 4 में संशोधन :

(1) उप विनियम (2) के शीर्षक (अ) के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाली मौजूदा तालिका में वित वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-2024 के लिए क्र.सं. 4,5 और 6 पर प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क्र.सं.	वर्ष	ऊर्जा उपभोग जिसमें जल विद्युत से उपभोग शामिल नहीं है, की प्रतिशतता के रुप में व्यक्त बाध्यता (%)		
		गैर सौर ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल
4	2021-2022	9.98%	8.50%	18.48%
5	2022-23	10.45%	9.50%	19.95%
6	2023-24	11.16%	10.50%	21.66%

इसके अलावा निम्नलिखित नए परंतुक को मौजूदा परंतुक के नीचे भी जोडा जाएगा:

बशर्ते यह भी कि वित वर्ष 2021-22 से वित वर्ष 2023-24 के लिए सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता अनुपालना की 80% या उससे अधिक उपलब्धि करने के पश्चात यदि कोई शेष कमी हो तो उसकी पूर्ति उस वर्ष विशेष के लिए गैर सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता से अधिक क्रय की गई गैर सौर ऊर्जा से की जा सकेगी। इसी प्रकार गैर सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता अनुपालना की 80% या उससे अधिक उपलब्धि करने के पश्चात यदि कोई शेष कमी हो तो उसकी पूर्ति उस वर्ष विशेष के लिए सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता से अधिक क्रय की गई सौर ऊर्जा अथवा पात्र जल ऊर्जा से की जा सकेगी।

(2) उप विनियम (2) के शीर्षक (ब) के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाली मौजूदा तालिका में वित वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-2024 के लिए क्र.सं. 4,5 और 6 पर प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क्र.सं.	वर्ष	ऊर्जा उपभोग जिसमें जल विद्युत से उपभोग शामिल नहीं है, की प्रतिशतता के रुप में व्यक्त बाध्यता (%)
4	2021-22	18.48%
5	2022-23	19.95%
6	2023-24	21.66%

(3) उप विनियम (3) के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाली मौजूदा तालिका में वित वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-2024 के लिए क्र.सं. 4,5 और 6 पर प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क्र.सं.	वर्ष	ऊर्जा उपभोग जिसमें जल विद्युत से उपभोग शामिल नहीं है, की प्रतिशतता के रुप में व्यक्त बाध्यता (%)				
		गैर सौर ऊर्जा			सौर ऊर्जा	कुल
		पवन	बायोमॉस	एचपीओ		
4	2021-22	8.90%	0.90%	0.18%	8.50%	18.48%
5	2022-23	9.10%	1.00%	0.35%	9.50%	19.95%
6	2023-24	9.40%	1.10%	0.66%	10.50%	21.66%

इसके अलावा निम्नलिखित नए परंतुक को मौजूदा परंतुक के नीचे भी जोडा जाएगाः

बशर्ते यह भी कि वित वर्ष 2021-22 से वित वर्ष 2023-24 के लिए सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता अनुपालना की 80 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्धि करने के पश्चात यदि कोई शेष कमी हो तो उसकी पूर्ति उस वर्ष विशेष के लिए गैर सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता से अधिक क्रय की गई गैर सौर ऊर्जा से की जा सकेगी। इसी प्रकार गैर सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता अनुपालना की 80 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्धि करने के पश्चात यदि कोई शेष कमी हो तो उसकी पूर्ति उस वर्ष विशेष के लिए सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता या पन ऊर्जा क्रय बाध्यता से अधिक क्रय की गई सौर ऊर्जा अथवा पात्र जल ऊर्जा से की जा सकेगी। इसके अलावा पन ऊर्जा क्रय बाध्यता अनुपालना 80 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्धि करने के पश्चात यदि कोई शेष कमी हो तो उसकी पूर्ति उस वर्ष विशेष के लिए सौर ऊर्जा या गैर सौर ऊर्जा क्रय बाध्यता से की जा सकेगी।

बशर्ते यह भी कि 08.03.2019 से 31.03.2024 तक चालू होने वाली पम्प स्टोरेज परियोजनाओं सहित 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की वाली पात्र बडी पन बिजली परियोजनाओं के संबंध में क्षमता के 70% उत्पादन तथा चालू होने की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के लिए क्रय की गई ऊर्जा से पन ऊर्जा क्रय बाध्यता (एचपीओ) को पूरा किया जा सकेगा। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधी (एलएडीएफ) के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान की जानी है, उसे कुल उत्पादन की 70 प्रतिशत की इस सीमा के भीतर शामिल नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि राज्य/ डिस्कॉम के एचपीओ दायित्व को उस समय के समझौते के अनुसार, 08.03.2019 के बाद चालू की गई एलएचपी से राज्य को दी जा रही निःशुल्क बिजली, स्थानीय क्षेत्र विकास निधी में योगदान को छोडकर, यदि राज्य/ डिस्कॉम के भीतर ही खपत की जाती है, से भी पूरा किया जा सकता है। निःशुल्क बिजली, (स्थानीय क्षेत्र विकास निधी में योगदान को छोडकर) केवल राज्य/ डिस्कॉम के एचपीओ.दायित्व की सीमा तक एचपीओ लाभ के लिए पात्र होगी।

बशर्ते यह भी कि भारत के बाहर से आयतित पन ऊर्जा पर, पन ऊर्जा क्रय बाध्यता की अनुपालना के लिए विचार नही किया जाएगा।

आयोग की आज्ञा से,

सचिव।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION JAIPUR

Notification

Jaipur, December 14, 2021

No. RERC/Secy./Reg.145 .-In exercise of the power conferred under the Sections 86(1)(e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Renewable Energy Obligation) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title, commencement, and extent of application:

(1) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Renewable Energy Obligation) (Seventh Amendment) Regulations, 2021.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall apply throughout the State of Rajasthan.

2. Amendment in Regulation 2 of the Principal Regulations:

The definition appearing at sub-regulation (1) II shall be substituted with the following:

"II. Renewable Energy" or "RE" is the energy generated from the Renewable Energy Sources defined in RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 as amended from time to time and shall include cogeneration."

3. Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations:

(1) The entries at s.no. 4, 5 & 6 for the FY 2021-22,2022-23 & 2023-24 shall be substituted in the existing table appearing under the heading (A) of sub-regulation (2):

S.No.	*Year*	*Obligation expressed as percentage of energy consumption (%) excluding consumption met from hydro sources of power.*		
		Non-solar	*Solar*	*Total*
4	*2021-22*	*9.98%*	*8.50%*	*18.48%*
5	*2022-23*	*10.45%*	*9.50%*	*19.95%*
6	*2023-24*	*11.16%*	*10.50%*	*21.66%*

Further, the following new proviso shall also be added below the existing provisos:

"*Provided also that for FY 2021-22 to FY 2023-24, on achievement of Solar RPO compliance to the extent of 80% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess non-solar energy consumed beyond specified Non-Solar RPO for that particular year. Similarly, on achievement of other Non-Solar RPO compliance to the extent of 80% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or eligible hydro energy consumed beyond specified Solar RPO for that particular year."*

(2) The entries at s.no. 4, 5 & 6 for the FY 2021-22,2022-23 & 2023-24 shall be substituted in the existing table appearing under the heading (B) of sub-regulation (2):

S.No.	*Year*	*Obligation expressed as percentage of energy consumption (%) excluding consumption met from hydro sources of power*
4	*2021-22*	*18.48%*
5	*2022-23*	*19.95%*
6	*2023-24*	*21.66%*

(3) The entries at s.no. 4,5 & 6 for the Year 2021-22,2022-23 & 2023-24 of the existing table under sub-regulation (3) shall be substituted as under:

S.No.	*Year*	*Obligation expressed as percentage of energy consumption (%) excluding consumption met from hydro sources of power.*				
		Non-solar			*Solar*	*Total*
		Wind	*Biomass*	*HPO*		
4	*2021-22*	*8.90%*	*0.90%*	*0.18%*	*8.50%*	*18.48%*
5	*2022-23*	*9.10%*	*1.00%*	*0.35%*	*9.50%*	*19.95%*
6	*2023-24*	*9.40%*	*1.10%*	*0.66%*	*10.50%*	*21.66%*

Further, the following new proviso shall also be added below the existing provisos:

"Provided also that for FY 2021-22 to FY 2023-24, on achievement of Solar RPO compliance to the extent of 80% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess non-solar energy consumed beyond specified Non-Solar RPO for that particular year. Similarly, on achievement of other Non-Solar RPO compliance to the extent of 80% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or eligible hydro energy consumed beyond specified Solar RPO or HPO for that particular year. Further, on achievement of HPO compliance to the extent of 80% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess solar or other non- solar energy consumed beyond specified Solar RPO or Other Non-Solar RPO for that particular year."

Provided also that Hydro Power Purchase Obligation (HPO) shall be met from the power procured from eligible large hydro power projects including pump storage projects having capacity more than 25 MW (LHPs) commissioned on and after 08.03.2019 and upto 31.03.2024 in respect of 70% of the total generated capacity for a period of 12 years from the date of commissioning. Free power to be provided as per the agreement with the State Government and that provided for Local Area Development Fund (LADF), shall not be included within this limit of 70% of the total generated capacity.

Provided also that HPO liability of the State/Discom could be met out of the free power being provided to the State from LHPs commissioned after 08.03.2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards Local Area Development Fund (LADF) if consumed within the State/Discom. Free power (not that contributed for Local Area Development) only to the extent of HPO liability of the State/Discom shall be eligible for HPO benefit.

Provided also that hydro power imported from outside India shall not be considered for meeting HPO."

By Order of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।